[22/9/2020]

परिशिष्ट - 1

प्रश्न सं. [क. 2]

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 02 द्वारा श्री राजेश कुमार शुक्ल सत्र सितम्बर 2020

Govt.of MadhyaPradesh

मध्य प्रदेश शासन

Office of the Field Director

Panna Tiger Reserve

Panna, Madhya Pradesh, (India)

Phone No. +917732-252135 (O) Fax, +917732-252120

E-mail: dirpannaNP@mpforest.org. Website: www.pannatigerreserve.in

Panna Tiger Reserve

पन्ना टाईगर रिजर्व

क्रमांक / मा.चि. / 2019 / 6578 / पन्ना, दिनांक 26 11.2019

प्रति,

कलेक्टर
जिला ,पन्ना (म.प्र.)

विषय :– विधानसभा आश्वासन क्रमांक 371 द्वारा श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह सत्र जुलाई–2019।

सदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 41 / अधीक्षक / 2019 / दिनांक 23.09.2019

––00––

विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा आश्वासन क्रमांक 371 के अनुसार उप संचालक पन्ना टाईगर रिजर्व, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग पन्ना द्वारा दिनांक 15.10.2019 को ग्राम हरसा, बगोंहा एव नहरी का निरीक्षण किया तत्पश्चात समय–समय पर उक्त गाँवों में जाकर ग्राम वासियों से संपर्क किया तथा उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई।

उप संचालक पन्ना टाईगर रिजर्व एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग पन्ना द्वारा हरसा गेट से सलैया तक के मार्ग का निरीक्षण किया गया। वन भूमि के विभिन्न कक्षों में से गुजरने वाले मार्ग की लम्बाई तथा चौड़ाई का आकलन किया गया। निरीक्षण पश्चात पाया गया कि हरसा गेट से सलैया ग्राम तक जो वर्तमान में कच्चा मार्ग है,उसकी लम्बाई लगभग 13 किलोमीटर है, जिसमें से 7.50 किलोमीटर मार्ग वन भूमि से गुजरता है। वन भूमि से गुजरने वाले 7.50 किलोमीटर लम्बाई मे से 3.8 किलोमीटर लम्बाई पन्ना गंगऊ अभ्यारण्य एवं कोर क्रिटिकल के अन्तर्गत आने वाले कक्षों में सम्मिलित है, तथा शेष 3.7 किलोमीटर लम्बाई पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में सम्मिलित है।

ग्राम वासियों से चर्चा के दरम्यान मुख्य रूप से यह समस्या बताई गयी ,की हरसा गेट से हरसा गाँव तक का जो मार्ग है, वह वर्तमान में कच्चा है, तथा बरसात के समय आवागमन योग्य नहीं रहता है। मार्ग में दो बडे रपटे पड़ते है जिसमे से शिवराज नाला में बारिश के समय केन नदी का पानी आने के कारण आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अत्यावश्यक कार्य जैसे मरीजों को अस्पताल ले जाना बच्चों को स्कूल जाना संभव नहीं हो पाता है। वर्तमान में ग्राम हरसा में केवल कक्षा आठवीं तक ही स्कूल संचालित है। इन समस्याओं की बजह से ग्राम वासियों के द्वारा हरसा गेट से सलैया ग्राम तक पक्का मार्ग एवं रपटो / पुलियां का निर्माण किये जाने की पुरजोर माँग की है, जो उचित है। मार्ग निर्माण हेतु विद्यमान चौड़ाई 7.50 मीटर पायी गई है। उक्त कच्चा मार्ग सन् 1980 के पूर्व का

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रचलित मार्ग है, जिसका उन्नयन कर पक्का मार्ग बनाये जाने हेतु नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्राप्त कर मार्ग का निर्माण किया जा सकता है।

वर्तमान में स्थानीय ग्रामीणों से उक्त मार्ग के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है तथा रात्रि में आवागमन हेतु कोई रोक नहीं है। केवल व्यावसायिक उद्देश्य से जाने वाले एवं बाहरी वाहनों से वनमार्ग शुल्क प्राप्त कर सूर्योदय से सूर्यस्त तक ही प्रवेश दिया जाता है। अवैध वसूली संबंधित भी किसी ग्रामवासियों द्वारा कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

प्रतिवेदन विधानसभा आश्वासन के पालन में सादर सम्प्रेषित है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
पन्ना जिला पन्ना म0प्र0

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग पन्ना

उप संचालक
पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना

पृ.क्रमांक 6579 पन्ना दिनांक 26.11.2019

प्रतिलिपि– क्षेत्र संचालक पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

उप संचालक
पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना